न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/47/2018

वउनवान

1. श्यामलाल पुत्र रतनलाल जाति अहीर निवासी बल्लुपुरारामगढ तहसील कठूमर

——— सायल

बनाम

1. रामअवतार पुत्र रतनलाल जाति अहीर निवासी बल्लुपुरारामगढ
2. रामकरन पुत्र रतनलाल जाति अहीर निवासी बल्लुपुरारामगढ
3. हरप्यारी पत्नी स्व0 रतनलाल जाति अहीर निवासी बल्लुपुरारामगढ
4. गैंदा पुत्र छुट्टन जाति अहीर निवासी बल्लुपुरारामगढ तहसील कठूमर जिला अलवर
5. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

———

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री सुभाषचन्द "अर्रूवा" एडवोकेट : वकील सायल

आदेश दिनांक 11/2/19

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 22, 165, 292, 293, 304, 305, 310, 329, 344, 395, 397, 413, 430, 457, 247 वाके ग्राम बल्लुपुरारामगढ तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी सायल एंव गैरसायल संख्या 1 ला04 की भामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायल एंव गैरसायलान भामलात में काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है उक्त आराजी अवट है जिसका अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। सायल विवादित आराजी में गैरसायलान के साथ भामलात में काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में भामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान विवादित आराजी में सायल के भामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है इस वजह से सायल विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है। विवादित आराजी भामलात खातेदारी में दर्ज रहने से गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त में

Scanned by CamScanner

बाधा पैदा करते है जवरन वेदखल करने तथा विना तकासमा कराये रहन वय करने की धमकी देते है। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल को अपार हानि असुविधा व क्षति होगी। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गेरसायलान को उपरोक्त आराजी में सायल के हिस्सा के अनुसार कब्जे काश्त में बाधा पैदा नहीं करने रहन वय नहीं करने एंव मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल सं0 1 ला0 4 बाबजूद तामील उप0 नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 22.06.2018 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 वाके ग्राम बल्लुपुरारामगढ की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की भामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है सायल विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी का अलग से कानूनी तकासमा कराना चाहता है। गैरसायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने को तैयार नहीं है बल्कि सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है रहन वय करने की धमकी देते है। यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी को विना तकासमा कराये रहन वय कर दिया या सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की तो अपार हानि व नुकशान सायल को होगा। इस वजह से गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता सायल की वहस पर मनन किया। सायल को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल की वहस पर मनन किया। सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 वाके ग्राम बल्लुपुरारामगढ में विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की भामलात खातेदारी में दर्ज है।

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में भामलात खातेदारी में दर्ज रहने से विवादित आराजी को सायल व गैरसायलान का भामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है यदि गैरसायलान ने सायल को उनके कब्जे काश्त में बाधा की या रहन बय कर दिया तो इससे सायल को नुकसान होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकसान होता हो ऐसी स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में प्रवल है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल सं0 1 ला0 4 को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 22, 165, 292, 293, 304, 305, 310, 329, 344, 395, 397, 413, 430, 457, 247 वाके ग्राम बल्लुपुरारामगढ तहसील कठूमर वाके ग्राम बल्लुपुरारामगढ तहसील कठूमर के मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 11/2/2019 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner